न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 01 सन 2019

अनवान :—

1. रघुवीर पुत्र छबीलाराम जाति छिम्पा निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :— 10/7/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 87/77 के प0न0 334/439(58) के किला न0 1 ता 4 ,7 ता 14 कुल 2.9350हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है।

पूर्व में उक्त भूमि आवंटित की गई थी उस वक्त की पर्चा खतौनी में भूमि नहरी दर्ज है एवं प्रार्थी ने उक्त भूमि जरिये बैयनामा खरीद की है खरीद के समय भी नहरी भूमि खरीद की गई थी तथा सिचाई विभाग में भी नहरी दर्ज है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि बारानी दर्ज है जिससे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये प्रार्थी उक्त भूमि को बारानी के स्थान पर नहरी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की भूमि की किस्म नहरी बारानी के सम्बध में सिचाई विभाग से रिपोर्ट ली जावे सिचाई विभाग से रिपोर्ट ली गई जिसे अनुसार वाद भूमि कमाण्ड की श्रेणी में दर्ज है रिपोर्ट जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 87/77 के प0न0 334/439(58) के किला न0 1 ता 4 ,7 ता 14 कुल 2.9350हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है।

पूर्व में उक्त भूमि आवंटित की गई थी उस वक्त की पर्चा खतौनी में भूमि नहरी दर्ज है एवं प्रार्थी ने उक्त भूमि जरिये बैयनामा खरीद की है खरीद के समय भी नहरी भूमि खरीद की गई थी तथा सिचाई विभाग में भी नहरी दर्ज है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि बारानी दर्ज है जिससे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये प्रार्थी उक्त भूमि को बारानी के स्थान पर नहरी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की सिचाई विभाग एवं प्रार्थी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 87/77 के प0न0 334/439(58) के किला न0 1 ता 4 ,7 ता 14 कुल 2.9350हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदार दर्ज है एवं भूमि की किस्म बारानी दर्ज है।

प्रार्थी का कथन है वाद भूमि नहरी है सहवन से राजस्व रिकार्ड में बारानी अंकित है जिसे संशोधन करवाकर नहरी दर्ज करवाना चाहते है।

उप खण्डाधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत पर्चा खतोनी के अनुसार वाद भूमि सेन्डीलूम अर्थात नहरी दर्ज है इसी प्रकार प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत बैयनामा में भी वाद भूमि सेन्डीलूम दर्ज है तथा अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग खण्ड नोहर की रिपोर्ट के अनुसार भी वाद भूमि नहरी दर्ज है उक्तानुसार प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार वाद भूमि नहरी होनी पाई जाती है सहवन से राजस्व रिकार्ड में बारानी दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में बारानी भूमि नहरी दर्ज हुई को संशोधन करने पर राज्य हकों को कोई नुकसान नही होता।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर्चा खतौनी /बैयनामा /सिचाई विभाग की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 87/77 के प0न0 334/439(58) के किला न0 1 ता 4 ,7 ता 14 कुल 2.9350हैक्ट भूमि को बारानी के स्थान पर नहरी संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे तहसीलदार नोहरे को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/7/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / 1362RA/10 दिनांक : 10.7.20

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 01 / 2019 अनवानी रघुवीर बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. रघुवीर पुत्र छवीलाराम जाति छिम्पा निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 01 / 2019 अनवानी रघुवीर बनाम सरकार में दिनांक 10/07/2020 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 87 / 77 के प0न0 334 / 439(58) के किला न0 1 ता 4 ,7 ता 14 कुल 2.9350हैक भूमि को बारानी के स्थान पर नहरी संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner